

समस्त माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल न०१०० रवात्किर.

प्रकरण क्रमांक -----

दियू 2565-I-15

(76)

1. कमल सिंह आत्मज भाष सिंह,
2. श्रीमति नब्बी बाई पुत्री रामलाल,
पत्नी कमल सिंह
3. श्रीमति हरि बाई पुत्री रामलाल
पत्नी कमल सिंह
समस्त निवासी - ग्राम डांगरा, तहसील उदयपुरा
जिला रायसेन म०१०

----- प्रार्थी/आवेदकगण

led
श्री व. प्रकाश गौतम
5/8/15

(Adv.)

॥ विरुद्ध ॥

1. श्रीमति रामकली बाई पत्नी राम सेवक
पुत्री रामलाल निवासी - पीपर पानी
तहसील तेंदुबेडा जिला नरसिंहपुर म०१०

॥ पूर्व से स्कपक्षीय ॥

श्रीमति बैजन्ती बाई पुत्री रामलाल
पत्नी द्वारथ सिंह निवासी तालाब के पास,
उदयपुरा जिला रायसेन म०१०

॥ पूर्व से स्कपक्षीय ॥

3. श्रीमति गोमती बाई बेया रामलाल
निवासी पीपरपानी तहसील तेंदुबेडा,
जिला नरसिंहपुर ॥ पत्नी ॥ पूर्व से स्कपक्षीय

श्री व. प्रकाश गौतम

7-8-15

7-8-15

----- प्रतिप्रार्थी/अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म०१० भू० राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2802/2003 में पारित आदेश
दिनांक 6-3-13 एवं अधीनस्थ न्यायालय विद्वान अति० आयुक्त महोदय
भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्र०क्र० 225/अपील/00-01 में पारित आदेश
दिनांक 5-8-2008 से तदनुसार

g




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 2565-एक/15

जिला - रायसेन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-4-16 R/S	<p>आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा जब से यह रिव्यु प्रकरण प्रस्तुत किया है। जब से वह उपस्थित नहीं हुये है। आवेदक के अधिवक्ता को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	